ग्राम पंचायत घोड़ब, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना {क}:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत **घोड़ब,** विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति फूला देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री अजय कुमार	23-1-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री केहर सिंह	22-07-08 से 14-09-16
2.	श्री विजय कुमार	15-09-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0 .18
2.	7	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय करना	1.44
3.	7.1	अनुदानों का अवरोधन	6.25
4.	8	निर्माण कार्य पर मूल्यांकित राशि से अधिक व्यय करना	0 .61
5.	9	14वें वित्त आयोग से सोलर लाइट की खरीद पर अधिक व्यय करना।	0 .51
6.	10	निर्माण कार्य के प्राकलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना	---
7.	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर की खरीद	1.18
8.	12	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	2.71

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत घोड़ब , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-01-2018 से 20 -01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय घोड़ब में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/15 ,01/16 व 06/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/15,11/15 व 09/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत घोड़ब, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:30 दिनांक 20-01-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत घोड़ब से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत घोड़ब द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत घोड़ब के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	110918	28126	139044	20634	118410
2015-16	118410	72973	191383	25873	165510
2016-17	165510	43719	209229	55878	153351

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत घोड़ब के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	328513	3996130	**4324643**	4123223	**201420**
2015-16	201420	3591257	**3792677**	3496362	**296315**
2016-17	296315	3585064	**3881379**	3255980	**625399**

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HDFC nagrota bagwan	50100037348171	11823
2.	HDFC nagrota bagwan	50100045537221	21855
3.	HDFC nagrota bagwan	50100165902032	561521
4.	KCCB nagrota bagwan	50055965804	65027
5.	KCCB nagrota bagwan	20012008510	91928
6.	KCCB nagrota bagwan	50055966193	26036
		CASH IN HAND	560
		TOATAL	**₹778750**

(क)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख):-₹ :- ₹ 778750

(153351+625399)

(ख)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 778750

अन्तर :- शून्य

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत **घोड़ब** की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है, जिसको पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व की ₹0.18 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत राजस्व ₹17560 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :-

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	27960	8355	**36315**	0	**36315**
2015-16	36315	17110	**53425**	53425	**0**
2016-17	0	17560	**17560**	0	**17560**

7 **प्राप्त अनुदान राशि से ₹1.44 लाख का अधिक व्यय:-**

पंचायत सचिव घोडब द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 3rd STATE ,IAY,RAY,MMAGY, के शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से **₹144219** अधिक व्यय किए गए, जो कि अनियमित है। अतः इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा

किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7. 1 अनुदान ₹ 6.25 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹625399** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 निर्माण कार्य की मूल्यांकित राशि से ₹0.61 लाख का अनियमित अधिक व्यय:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार वर्ष 2015-16 में MMGPY शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य पर मूल्यांकित राशि से ₹60774 अधिक व्यय किए गए जोकि एक गम्भीर मामला है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि को सम्बंधित से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्या	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका व पृष्ठ	मूल्यांकित राशि	व्यय की राशि	अधिक खर्च
1.	2015 -16	लिंक रोड प्यार चन्द के घर से देश राज के घर तक	1048 पृष्ठ 72 से 80	192226	253000	**60774**

9 सोलर लाइटों की खरीद पर ₹0.51 लाख का अधिक व्यय:-

वाउचर सं 18 माह 09/16 (पृष्ट 10) द्वारा ₹132000 की 6 सोलर लाइटें 14 वें वित्त आयोग अनुदान से खरीदी गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) उक्त खरीद खुले बाजार से की गई जबकि उक्त खरीद हिम उर्जा से की जानी अपेक्षित थी अत: खुले बाजार से खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) सचिव,पंचायती राज के पत्र सं :पी०सी०एच०(10)1/2013(एफ०एफ०सी०)-37299-388 दिनांक 31-12-15 के मद 5 अनुसार 14वें वित्त आयोग की कुल प्राप्त राशि का 10% ही सोलर लाईट की खरीद हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित था। जाँच में पाया गया कि पंचायत को 14वें वित्त आयोग अनुदान के माह 3 /17 तक कुल ₹812721 प्राप्त हुई तथा सोलर लाइट की खरीद हेतु 10% ₹81272 ही व्यय की जानी अपेक्षित थी जबकि ₹132000 व्यय की गई अतः इस प्रकार ₹ 50728 (132000-81272 सोलर लाइट पर अधिक व्यय की गई, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹50728 वसूल कर उक्त अनुदान में जमा की जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तदानुसार अपेक्षित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम सं	निर्माण कार्य का नाम
1.	बोडी प्रीतम चन्द के घर के पास
2.	पुली हरवंस के घर तक

3. सामुदायिक भवन घोडब

4. पानी टैंक रविदास मन्दिर

5. क्रैट वर्क नजदीक भद्रेड

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.18 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹117680** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय सामग्री ₹2 .71 लाख की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹270930** की क्रय की गई सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई है , जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अब नियमानुसार इस क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

13 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** में दिए गए विवरणानुसार बोल्डर की **20 ट्राली** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की

पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितत है। अतः प्रकरण उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है तथा पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फेरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

15 पंचायत निधि को कोपरेटिव बैंक के स्थान पर अन्य बैंक में जमा करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-1 7 को ग्राम पंचायत **घोडब** द्वारा   ₹595199 HDFC बैंक नगरोटा   के बचत खातों में जमा की गई है जबकि विशेष सचिव(वित्त)के पत्र संख्या :फिन-आईएफ(ए)1-68/83-II दिनांक 27-12-14 के अनुसार केवल कोपरेटिव बैंक में ही जमा करना अपेक्षित था अत: पंचायत निधि को सरकार के निर्देशानुसार ही निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष

सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अनुसार अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाए।

18 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

19 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)182/2018 खण्ड–1–3348–3351 दिनांक 14.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत घोड़ब विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881